

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2889
18.03.2025 को उत्तर के लिए नियत
फेम-2 योजना की वर्तमान स्थिति

2889. श्री कृपानाथ मल्लाह:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फेम-2 योजना की, विशेष रूप से 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ख) सरकार देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने की किस प्रकार योजना बना रही है तथा तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम, चरण-II को 01.04.2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया गया था जिसकी बजटीय सहायता 11,500 करोड़ रुपए थी। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों की बिक्री के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही, इस स्कीम के अंतर्गत ई-बसों की तैनाती और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी अनुदान दिया गया। 11.03.2025 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वाहन खंड	उन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जिनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया
1.	ई-दुपहिया	14,28,009
2.	ई-तिपहिया	1,64,523
3.	ई-चौपहिया	22,548
	कुल	16,15,080

इसके अतिरिक्त, फेम-1। स्कीम के अंतर्गत अंतःनगरीय प्रचालन के प्रयोजन से विभिन्न नगरों/राज्य परिवहन उपक्रमों/राज्य सरकार की इकाइयों के लिए 6,862 इलेक्ट्रिक बसें संस्वीकृत की गई हैं। 28.02.2025 तक 6862 ई-बसों में से 5,135 ई-बसों की आपूर्ति की जा चुकी है।

साथ ही, फेम-1। स्कीम के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय ने मार्च,2023 में तीन तेल विपणन कंपनियों नामतः इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश भर में फैले उनके खुदरा बिक्री केंद्रों पर 7,432 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए। इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय ने 980 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के स्तरोन्नयन हेतु 73.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मार्च,2024 में संस्वीकृत की। साथ ही, 400 चार्जिंग स्टेशन भी संस्वीकृत किए गए हैं जिनका आवंटन विभिन्न राज्यों में अन्य इकाइयों को रुचि-अभिव्यक्ति के माध्यम से किया गया था।

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन पारितंत्र को सुदृढ़ करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन के अंगीकरण को तीव्र करने के लिए निम्नांकित स्कीमें ग्रामीण क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित कर रहा है:-

i. **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो)**: सरकार ने 25,938 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पाद के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग हेतु इस स्कीम को 23.09.2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम में न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन वाले एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य-श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है।

ii. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम संबंधी पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण हेतु 18,100 करोड़ रुपए परिव्यय वाली पीएलआई स्कीम को 12.05.2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटा एसीसी बैटरी के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है।

iii. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: 10,900 करोड़ रुपए परिव्यय वाली यह स्कीम 29.09.2024 को अधिसूचित की गई थी। यह दो वर्ष की स्कीम है जिसका लक्ष्य ई-टुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी चार्जिंग स्टेशनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्टरोन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।

iv. पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: 28.10.2024 को अधिसूचित और 3,435.33 करोड़ रुपए परिव्यय वाली इस स्कीम का लक्ष्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए सहायता प्रदान करना है। स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) से भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस प्रचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

v. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम: इस स्कीम को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा तथा तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 प्रतिशत और पांचवे वर्ष के अंत तक 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना होगा।
